

नम्बर
अहकाम
हुकम को
में जो

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :- महीपाल सिंह, आर0ए0एस0

मुकदमा संख्या :- 212/2020 प्रा0पत्र

1. श्री कैलाश चन्द्र पिता लखन लाल जाति बैली जि० लाडुवाड़ा तह० करेड़ा
—प्रार्थी।

बनाम

1. श्री तारा देवी पत्नी प्रेमचन्द्र जाति जायरा लाल जि० लाडुवाड़ा तह० करेड़ा
—विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: निर्णय ::

दिनांक: 11/01/2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0 भू0 राज0 अधि0 1956 के त प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लाडुवाड़ा पटवार हल्का लाडुवाड़ा अ0नि0 क्षेत्र लाडुवाड़ा में उनके खाता संख्या 82 की आ0नं 3328/872 जमा 1-2646 हेक्टर स्थित है।

ग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थीगण अपने खाते/संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढी आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 24/12/2020 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की फ़ैरी होने का अर्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेशः

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया कर ग्राम लाडुवाड़ा पटवार हल्का लाडुवाड़ा भू0अ0नि0 क्षेत्र लाडुवाड़ा में उनके खाता या 82 की आ0नं 3328/872 जमा 1-2646 हेक्टर

भूमि स्थित है। के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू.अ.नि० को 500/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व के की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकिल बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

गन :- प्रार्थना पत्र प्रति।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
उपखण्ड अधिकारी
सहायक करेड़ा
करेड़ा (जिला भीलवाड़ा)

लेपि :- तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा (जिला भीलवाड़ा)